झारखण्ड सरकार

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के दो सदस्य के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

एतद् द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में झारखंड राज्य के लिए भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय अहर्त्ताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

नियुक्ति से संबंधित आवेदन, विस्तृत विज्ञापन में वर्णित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं तथा तत्संबंधी घोषणा के साथ दिनांक–05.12.2017 को अपराह्न 05:00 बजे तक निम्नांकित पते पर निबंधित डाक से, हस्तलिखित अथवा टंकित रूप में, समर्पित किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्राप्ति का पता– **प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का कोषांग,**
चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची, झारखंड
पिन कोड–834004

उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन (विज्ञापन सं०–6978/2017) विभागीय वेबसाईट– www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट– www.rera.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

10/XI/17.

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–06/TCPO (विविध)–08/2016–न०वि० 6977 **राँची, दिनांक–** 10/11/17

प्रतिलिपिः– श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

10/XI/17.

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

विज्ञापन संख्या–6978 रॉंची, दिनांक–10/11/17

झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

केन्द्र सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी है।

2. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसके द्वारा शीघ्र विवाद निवारण हेतु न्यायिक तंत्र विकसित किया जाना है जो भू–संपदा नियामक प्राधिकार एवं निर्णयन पदाधिकारी के द्वारा पारित निर्देश/आदेश के विरूद्ध दायर अपील की सुनवाई कर सकेगा।

3. उपरोक्त के क्रम में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	अहर्त्ताएँ
1	सदस्य (न्यायिक)	1	1. वैसे व्यक्ति जो देश के किसी भाग में अवस्थित न्यायिक कार्यालय में कम से कम 15 वर्षों तक न्यायिक पद पर पदस्थापित रहे हों अथवा भारतीय न्यायिक सेवा के सदस्य हों तथा अपर सचिव अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत रहे हों अथवा उन्हें 20 वर्षों के वकालत का अनुभव रहा हो जिसमें भू–संपदा क्षेत्र का अनुभव भी हो।
2	सदस्य (तकनीकी)	1	1. वैसे व्यक्ति जो नगर विकास, हाउसिंग, भू–संपदा विकास, अवसंरचना, आर्थिक, संबंधित प्रक्षेत्र से तकनीकी विशेषज्ञ, नियोजन, विधि, वाणिज्य, लेखा कर्म, उद्योग, प्रबंधन, समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों अथवा प्रशासन क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव रखते हों अथवा जो केन्द्र सरकार में अपर सचिव अथवा समकक्ष पद धारक हों अथवा रहे हों अथवा राज्य सरकार में समकक्ष पद धारक हों अथवा रहे हों।

4. सदस्यों की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले होगा, के लिए होगी तथा पुनर्नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

5. भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के वेतन, अन्य अनुमान्य भत्ते एवं सेवा शर्त्तें भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के अनुरूप होंगी।

6. झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचनाएं समर्पित करने के लिए विहित प्रपत्र :

नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान	वर्त्तमान वेतन	प्राप्त पेंशन की राशि	संस्थान, जहाँ पूर्व में कार्यरत रहे हैं	अनुभव
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी अथवा निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है। मुझे ऐसी कोई वित्तीय अथवा अन्य रूचि नहीं है जो न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के कुशल संचालन हेतु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्त्तों का पालन करूँगा।

स्थानः–.........................

दिनांक–......................... हस्ताक्षर

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट–www.rera.jharkhand.gov.in पर देखी जा सकती है।

10/XI/17

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6978 राँची, दिनांक–10/11/17

प्रतिलिपिः– श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

10/XI/17

सरकार के अवर सचिव